मु0न0:– 77/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 21.06.2023

मु0न0 77/2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र चुन्या जाति बैरवा निवासी भैसीना तहसील टोडाभीम। (वादी)

बनाम

1. कमलेश पुत्र रमेश
2. झन्नो देवी पत्नि रमेश
3. किशनलाल पुत्र पैमा
4. गंगासहाय पुत्र पैमा
5. श्योदान पुत्र पैमा
6. तीजो पत्नि पैमा
7. चेतराम पुत्र दीपा
8. सोमोती पुत्री दीपा
9. भौरी पुत्री दीपा
10. कम्पा पुत्री दीपा
11. बाडा पत्नि सुखचन्द पुत्र दीपा
12. परसराम पुत्र सुखचन्द पुत्र दीपा
13. नरेश पुत्र सुखचन्द पुत्र दीपा
14. मोन्या पुत्र सुखचन्द पुत्र दीपा
15. दयाराम पुत्र सुखचन्द पुत्र दीपा
16. लाली पुत्री सुखचन्द पुत्र दीपा
17. छोटे लाल पुत्र जीवन्या
18. जयराम पुत्र जीवन्या
19. प्रभूदयाल पुत्र जीवन्या
20. बाबूलाल पुत्र जीवन्या
21. दौजी पुत्र चिम्मन
22. बीरबल पुत्र चिम्मन
23. खिलाडी पुत्र चिम्मन
24. रामकिशन पुत्र चिम्मन
25. रामधन पुत्र चिम्मन
26. नथोली पुत्र साधू
27. रामसिंह पुत्र साधू
28. रोशन पुत्र भूरया
29. नानगा पुत्र हीरा

   समस्त जातियान बैरवा निवासी भैसीना तहसील टोडाभीम।

30. भजनलाल पुत्र रेवडया जाति कोली निवासी ग्राम गगवाना तहसील महवा जिला दौसा।
31. तहसीलदार टोडाभीम।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:31 IST
Reason: SelfAttested

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री जाकिर खॉन एडवोकट वादीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

निर्णय दिनांक 19/08/2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भैसीना की आराजी ख0न0 919/0.18, 1920/0.33 कुल किता 02 कुल रकवा 0.51 है0 मे वादी 1/8 हिस्से का तथा शेष हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि आराजी ख0न0 710/0.26, 711/0.53, 725/0.47, 727/0.12, 728/0.09, 729/0.15, 730/0.11, 731/0.11, 732/1378/0.39, 738/0.16, 739/0.36, 743/0.19, 744/0.10, 745/0.09, 795/0.05 कुल किता 15 कुल रकवा 3.18 है0 मे वादी 1/8 हिस्से का तथा शेष हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि आराजी ख0न0 930/0.16, 933/0.13, 934/0.04, 934/1467/0.05, 935/0.10, 936/0.17, 937/0.08, 938/0.10 कुल किता 8 कुल रकवा 0.83 है0 मे वादी 1/4 हिस्से का तथा शेष हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि आराजी ख0न0 921/0.32, 922/0.28, 923/0.16, 924/0.14, 925/0.15, 926/0.30, 927/0.05, 928/0.07, 929/0.13, 931/0.19, 932/0.18 कुल किता 11 कुल रकवा 1.97 है0 मे वादी 1/4 हिस्से का तथा शेष हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

यह है कि वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 32 द्वारा मौके पर बाहमी बटवारा कर रखा है। तथा मुताबिक हिस्सा वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, लेकिन रिकार्ड विधिवत बटवारा नही होने से प्रतिवादी न0 1 ता 18 के मन मे बेईमानी आ गई और वादी की भूमि हो हडपना चाहते है। तथा आये दिन डौल मेड एवं वादी के हिस्से की भूमि को अपने मे मिलाकर वादी से लडाई झगडा करते है।

बॉका दिनांक 08.06.2023 को प्रतिवादी न0 1 ता 32 वादी के हिस्से की आराजी पर आये और वादी के हिस्से की आराजी मे जबरन ट्रेक्टर चलाकर अपने हिस्से मे मिलाने की कोशिश की। इस पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि भाईयो तहसील मे चलकर मुताबिक जमाबन्दी बटवारा करा लेते है इस पर प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि खातेदार झूमा पुत्र दीपा [illegible] पत्नि साधू की मृत्यु हो चुकी है तथा खातेदार सुखचन्द पुत्र दीपा व धन्नी बाई की [illegible] हो [illegible] की है, भूरी पत्नि चिम्मन की मृत्यु हो चुकी है मृतक झूमा के वारिसान प्रतिवादी न0 7 ता 1[illegible] मृतक धन्नी देवी के वारिसान प्रतिवादी न0 26 व 27 है मृतक सुखचन्द के वारिसान [illegible] 11 ता 16 है भूरी पत्नि चिम्मन के वारिसान प्रतिवादी न0 21 ता 25 है जो मृतक के तर्के पर का[illegible] व दखील चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अतः दावा वादी बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत् तकास्मा प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भैसीना की आराजी ख0न0 919/0.18, 1920/0.33, 710/0.26, 711/0.53, 725/0.47, 727/0.12, 728/0.09, 729/0.15, 730/0.11, 731/0.11, 732/1378/0.39, 738/0.16, 739/0.36, 743/0.19, 744/0.10, 745/0.09, 795/0.05, 930/0.16, 933/0.13, 934/0.04, 934/1467/0.05, 935/0.10, 936/0.17, 937/0.08, 938/0.10, 921/0.32, 922/0.28, 923/0.16, 924/0.14, 925/0.15, 926/0.30, 927/0.05, 928/0.07, 929/0.13, 931/0.19, 932/0.18 है0 मे तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर बाद प्राप्ति बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से की आरजाी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। किसी प्रकार का निर्माण ना करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 31 पैरोकार सरकार उपस्थित, शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वर्णित आराजीयात मे वादीगण मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के प्रतिवादीगण जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी तथा प्रतिवादीगण ने वादपत्र मे वर्णित आराजीयात का बहामी बटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आराजीयात को दीगर व्यक्तियो को बेचने पर आमदा है तथा आये दिन वादी के हिस्से व कब्जे की डौल मेड को तोडते रहते है तथा मना करने पर झगडा करने पर उतारू हो जाते है। जिससे आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिये वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर दावा बाद जॉच फाईनल डिक्री किया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2076–78 के खाता न0 261, मे कुल किता 15 कुल रकवा 3.18 है0 मे वादीगण 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 262 मे कुल किता 8 कुल रकवा 0.83 है0 मे वादीगण 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 263 मे कुल किता 2 कुल रकवा 0.51 है0 मे वादीगण 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। खाता न0 293 मे कुल किता 11 कुल रकवा 1.97 है0 मे वादीगण 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताबिक जमाबन्दी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहे है। इसलिये वादी का दावा बावत तकास्मा [illegible] होने से स्वीकार किया जाता है। प्राथमिक डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:31 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन [illegible] रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अत: वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भैसीना मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

ग्राम:— भैसीना

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	रामजीलाल पुत्र चुन्या जाति बैरवा सा0 देह राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेहन्दीपुर बालाजी	727/1	0.04 है0
		731	0.11 है0
		732/1378	0.31 है0
		925/1	0.03 है0
		926/1	0.01 है0
		929	0.13 है0
		931	0.19 है0
		932	0.18 है0
		930	0.16 है0
		कुल किता 9	कुल रकवा 1.16 है0
	कमलेश पुत्र रमेश, सन्नोदेवी पत्नि रमेश हि. ब. 1623/53300 विलारहन, किशनलाल गंगासहाय पि0 पैमा हि. ब. 1623/21320 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेहन्दीपुर बालाजी श्योदान पुत्र पैमा, तीजो पत्नि पैमा हि. ब. 1623/21230 चेतराम पुत्र दीपा हि.ब. 16229/266500 सोमोती भौरी कम्पा पुत्रियां दीपा हि.ब. 8112/266500 विलारहन परसराम, नरेश, मोन्या, दयाराम पि0 सुखचन्द लाली पुत्री सुखचन्द बाडा पत्नि सुखचन्द हि.ब. 16229/266500 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेहन्दीपुर बालाजी हिस्सा 2704/53300 छोटेलाल, जयराम पि0 जीवन्या हि.ब. 3247/53300 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेहन्दीपुर बालाजी प्रभूदयाल बाबूलाल पि0 जीवन्या हि.ब. 3247/53300 विलारहन दौजी बीरवल खिलाडी रामकिशन रामधन पि0 चिम्मन हि.ब. 8115/53300 विलारहन रोशन पुत्र भूरया हि.ब. 8115/53300 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेहन्दीपुर बालाजी नानगा पुत्र हीरा हि.ब.5012/53300 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेहन्दीपुर बालाजी नथैली पुत्र साधू हि0 2306/53300 राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मेहन्दीपुर बालाजी रामसिंह पुत्र साधू हि.ब. 2306/53300 जाति बैरवा सा0 देह भजनलाल पुत्र रेवडया हिस्सा 31/533 जाति कोली सा0 गगवाना तहसील [illegible] जिला दौसा खातेदार	727/2	0.02 है0
		710	0.26
		711	0.53
		725	0.47
		727	0.06
		728	0.09
		729	0.15
		730	0.11
		732/1378/1	0.08
		738	0.16
		739	0.36
		743	0.19
		744	0.10
		745	0.09
		795	0.05
		933	0.13
		934	0.04
		934/1467	0.05
		935	0.10
		936	0.17
		937	0.08
		938	0.10
		919	0.18
		920	0.33
		921	0.32
		922	0.28
		923	0.16
		[illegible]	0.14
		[illegible]	0.12
		[illegible]	0.29
		[illegible]	0.05
		928	0.07
		कुल किता 31	कुल रकवा 5.33 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेश की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/08/2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:43:31 IST
Reason: SelfAttested